[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i)]

#### **GOVERNMENT OF INDIA**

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, 18th December, 2018

G.S.R.(E).\_ In exercise of the powers conferred by clause (41) of section 2, section 3, sub-section (1) of section 7, section 10A, section 14 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Fourth Amendment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 23, the following rule shall be inserted, namely:-
- **"23A. Declaration at the time of commencement of business.-** The declaration under section 10A by a director shall be in **Form No.INC-20A** and shall be filed as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 and the contents of the said form shall be verified by a Company Secretary or a Chartered Accountant or a Cost Accountant, in practice:

Provided that in the case of a company pursuing objects requiring registration or approval from any sectoral regulators such as the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, etc., the registration or approval, as the case may be from such regulator shall also be obtained and attached with the declaration.".

3. In the said rules, after rule 39, the following rules shall be inserted, namely:-

### "40. Application under sub-section (41) of section 2 for change in financial year

- (1) The application for approval of concerned Regional Director under sub-section (41) of section 2 , shall be filed in e-Form No.RD-1 along with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 and shall be accompanied by the following documents, namely:-
- (a) grounds and reasons for the application;

- (b) a copy of the minutes of the board meeting at which the resolution authorising such change was passed, giving details of the number of votes cast in favour and or against the resolution;
- (c) Power of Attorney or Memorandum of Appearance, as the case may be;
- (d) details of any previous application made within last five years for change in financial year and outcome thereof along with copy of order.
- (2) Where the Regional Director on examining the application, referred to in sub-rule (1), finds it necessary to call for further information or finds such application to be defective or incomplete in any respect, he shall give intimation of such information called for or defects or incompleteness, on the last intimated e-mail address of the person or the company, which has filed such application, directing the person or the company to furnish such information, or to rectify defects or incompleteness and to re-submit such application within a period of fifteen days, in e-Form No. **RD-GNL-5**.

Provided that a maximum of two re-submissions shall be allowed.

- (3) (a) In case where such further information called for has not been provided or the defects or incompleteness has not been rectified to the satisfaction of the Regional Director within the period allowed under sub-rule (2), the Regional Director shall reject the application with reasons within thirty days from the date of filing application or within thirty days from the date of last re-submission made as the case may be.
- (b) In case where the application is found to be in order, Regional Director shall allow and convey the order within thirty days from the date of application or within thirty days from the date of last re-submission, as the case may be.
- (c) where no order for approval or re-submission or rejection has been explicitly made by the Regional Director within the stipulated time of thirty days, it shall be deemed that the application stands approved and an approval order shall be automatically issued to the applicant.
- (4) The order conveyed by the Regional Director shall be filed by the company with the Registrar in Form No.INC-28 within thirty days from the date of receipt of the order along with fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.
- **41. Application under section 14 for conversion of public company into private company.** (1) An application under the second proviso to sub-section (1) of section 14 for the conversion of a public company into a private company, shall, within sixty days from the date of passing of special resolution, be filed with Regional Director in **e-Form No. RD-1** along with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 and shall be accompanied by the following documents, namely:-
- (a) a draft copy of Memorandum of Association and Articles of Association, with proposed alterations including the alterations pursuant to sub-section (68) of section 2;
- (b) a copy of the minutes of the general meeting at which the special resolution authorising such alteration was passed together with details of votes cast in favour and or against with names of dissenters;
- (c) a copy of Board resolution or Power of Attorney dated not earlier than thirty days, as the case may be, authorising to file application for such conversion;

- (d) declaration by a key managerial personnel that pursuant to the provisions of sub-section (68) of section 2, the company limits the number of its members to two hundred and also stating that no deposit has been accepted by the company in violation of the Act and rules made thereunder;
- (e) declaration by a key managerial personnel that there has been no non-compliance of sections 73 to 76A, 177, 178, 185,186 and 188 of the Act and rules made thereunder;
- (f) declaration by a key managerial personnel that no resolution is pending to be filed in terms of sub-section (3) of section 179 and also stating that the company was never listed in any of the Regional Stock Exchanges and if was so listed, all necessary procedures were complied with in full for complete delisting of the shares in accordance with the applicable rules and regulations laid down by Securities Exchange Board of India:

Provided that in case of such companies where no key managerial personnel is required to be appointed, the aforesaid declarations shall be filed any of the director.

- (2) Every application filed under sub-rule (1) shall set out the following particulars, namely:-
- (a) the date of the Board meeting at which the proposal for alteration of Memorandum and Articles was approved;
- (b) the date of the general meeting at which the proposed alteration was approved;
- (c) reason for conversion into a private company, effect of such conversion on shareholders, creditors, debenture holders, deposit holders and other related parties;
- (d) details of any conversion made within last five years and outcome thereof along with copy of order;
- (e) details as to whether the company is registered under section 8.
- (3) There shall be attached to the application, a list of creditors, debenture holders, drawn up to the latest practicable date preceding the date of filing of application by not more than thirty days, setting forth the following details, namely:-
- (a) the names and address of every creditor and debenture holder of the company;
- (b) the nature and respective amounts due to them in respect of debts, claims or liabilities;
- (c) in respect of any contingent or unascertained debt, the value, so far as can be justly estimated of such debt:

Provided that the company shall file an affidavit, signed by the Company Secretary of the company, if any, and not less than two directors of the company, one of whom shall be managing director, where there is one, to the effect that they have made a full enquiry into affairs of the company and, having done so, have formed an opinion that the list of creditors and debenture holders is correct, and that the estimated value as given in the list of the debts or claims payable on contingency or not ascertained are proper estimates of the values of such debts and claims that there are no other debts, or claims against, the company to their knowledge.

- (4) A duly authenticated copy of the list of creditors and debenture holders shall be kept at the registered office of the company and any person desirous of inspecting the same may, at any time during the ordinary hours of business, inspect, and take extracts from the same on payment of ten rupees per page to the company.
- (5) The company shall, at least twenty-one days before the date of filing of the application\_
- (a) advertise in the **Form No.INC.25A**, in a vernacular newspaper in the principal vernacular language in the district and in English language in an English newspaper, widely circulated in the State in which the registered office of the company is situated;
- (b) serve, by registered post with acknowledgement due, individual notice on each debenture holder and creditor of the company; and
- (c) serve, by registered post with acknowledgement due, a notice to the Regional Director and Registrar and to the regulatory body, if the company is regulated under any law for the time being in force.
- (6) (a) Where no objection has been received from any person in response to the advertisement or notice referred to in sub-rule (5) and the application is complete in all respects, the same may be put up for orders without hearing and the concerned Regional Director shall pass an order approving the application within thirty days from the date of receipt of the application.
- (b) Where the Regional Director on examining the application finds it necessary to call for further information or finds such application to be defective or incomplete in any respect, he shall within thirty days from the date of receipt of the application, give intimation of such information called for or defects or incompleteness, on the last intimated e-mail address of the person or the company, which has filed such application, directing the person or the company to furnish such information, to rectify defects or incompleteness and to re-submit such application within a period of fifteen days in e-Form No. **RD-GNL-5**:

Provided that maximum of two re-submissions shall be allowed.

- (c) In cases where such further information called for has not been provided or the defects or incompleteness has not been rectified to the satisfaction of the Regional Director within the period allowed under sub- rule (6), the Regional Director shall reject the application with reasons within thirty days from the date of filing application or within thirty days from the date of last re-submission made, as the case may be.
- (d) Where no order for approval or re-submission or rejection has been explicitly made by the Regional Director within the stipulated period of thirty days, it shall be deemed that the application stands approved and an approval order shall be automatically issued to the applicant.
- (9) (i) Where an objection has been received or Regional Director on examining the application has specific objection under the provisions of Act, the same shall be recorded in writing and the Regional Director shall hold a hearing or hearings within a period thirty days

, as required and direct the company to file an affidavit to record the consensus reached at the hearing, upon executing which, the Regional Director shall pass an order either approving or rejecting the application along with reasons within thirty days from the date of hearing, failing which it shall be deemed that application has been approved and approval order shall be automatically issued to the applicant.

(ii) In case where no consensus is received for conversion within sixty days of filing the application while hearing or otherwise, the Regional Director shall reject the application within stipulated period of sixty days:

Provided that the conversion shall not be allowed if any inquiry, inspection or investigation has been initiated against the company or any prosecution is pending against the company under the Act.

- (10) On completion of such inquiry, inspection or investigation as a consequence of which no prosecution is envisaged or no prosecution is pending, conversion shall be allowed.
- (11) The order conveyed by the Regional Director shall be filed by the company with the Registrar in Form No.INC-28 within fifteen days from the date of receipt of approval along with fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.".
- 4. In the said rules, after Form No.INC-20, in annexure, the following forms shall be inserted, namely:-

### FORM NO. INC.20A

[Pursuant to Section 10A(1)(a) of the Companies Act, 2013 and rule 23A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]



# Declaration for commencement of business

	[014]	न्यमंव ज	ुने प्रति यान			
	Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form.	444 51	4(1			
1.	*(a) Corporate identity number (CIN) of company (b) Global location number (GLN) of company				Pre-fill	
2.	(a) Name of the company (b) Address of the registered office of the company					
	(c) email ID of the company					
3.	(a) *Whether the affairs of the Company is regulated o Yes o No (b) *Specify the name of the regulator.  Specify 'others'	d by any	sectoral reg	gulator (like I	RBI in case of NBFI activities)	
	(c) *Specify the letter number/registration number		and da	ate of approv	al/registration	
(1) (2) (0) fro	*Subscribers Proof of payment for value of shares Certificate of Registration issued by the RBI nly in case of Non-Banking Financial Companies)/ m other regulators Optional attachment(s) (if any)	At	tach tach tach		List of Attachments  Remove attachment	
I a	reunder in respect of the subject matter of this form an	that all t	he requiren	nents of Com	dated panies Act, 2013 and the rules ma been complied with. I further decla	
1.	Whatever is stated in this form and in the attachment the subject matter of this form has been suppresse company.  All the required attachments have been completely as Every subscriber to the MOA has paid the value for short The company has filed with the registrar a verification	ed or con nd legibly hares agr	y attached t	is as per the o this form. aken by him	e original records maintained by t	
Dir	be digitally signed by ector DSC BOX DSC BOX					
thro	Certificate by practicing professional eclare that I have been duly engaged for the purpose ough the provisions of the Companies Act, 2013 and I ticulars (including attachment(s)) from the original received form and found them to be true, correct and complete Chartered accountant (in whole-time practice)	Rules the cords mai e and no	ereunder re intained by informatior	levant to this the Company material to	s form and I have verified the about applicant which is subject matter	ve
	Company secretary (in whole-time practice)				No. 44	
	Whether associate or fellow Associate	е (	Fellow			
	Membership number					
-	Certificate of practice number					

(Creatian)	Check Form	22 - 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12 · 12	73(4)	
his eForm has been he basis of statement	taken on file maintained by t t of correctness given by the	he registrar of companies company	through electronic mode a	and on

5.In the said rules, after form No. INC-25, the following form shall be inserted, namely:-

#### "Form No. INC-25A

# Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs
Region
In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of _M/s (company name) having its registered office at, Applicant
Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra Ordinary General Meeting held on to enable the company to give effect for such conversion.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director (complete address of the Regional Director to be given), within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
For and on behalf of the Applicant
Director with DIN
Complete address of registered office
Date
Place".

6.In the said rules, after form No.INC-34, the following form shall be inserted, namely:-

### FORM NO.RD-1

[Pursuant to the Companies Act, 2013 and rule 40 and 41 of the Companies (Incorporation] Rules, 2014



#### Form for filing application to Regional Director

(Incorporation] Rules, 2014 सन्यमेय जयत
Form language o English o Hindi  Note – All the fields marked in * are to be mandatorily filled.
4. *(a) Corporate identity number (CIN) of company
(b) Global location number (GLN) of company
5. (a) Name of the company (b) Address of the registered office of the company
3. *Please indicate the purpose of the application
<ul> <li>Rectification of Name</li> <li>Change in financial year</li> <li>Conversion of Public company into a Private company</li> <li>Others</li> </ul>
4. Specify 'others'
5. (a) CIN of company against which the application for rectification
of name is being made  (b) Name of the company against which the application is made
6.Details as to whether a company registered under section 8 of the Act O yes O No
7. the date of board meeting at which the proposal for alteration of Articles was approved
(a) Date of passing special resolution (b) Service request number of Form MGT-14 (c) Date of filing Form MGT-14  (DD/MM/YYYY)
8. *Details of application

	=
· ·	
	*
Attachments	List of Attachments
<ol> <li>*Statement of the grounds on which the application is</li> <li>Copy of board resolution</li> <li>Copy of special resolution</li> <li>*copy of advertisement</li> </ol>	made Attach Attach
5. List of creditors and debenture holders 6. *Declaration by KMP on compliance of section 2(68) 7. *Other declarations 8. Optional attachment(s)- if any	
o. optional accomment(s) if any	Remove attachment
Declaration	Little state of the late of th
thereunder in respect of the subject matter of this form and ma	r vide resolution num equirements of the Companies Act 2013 and the rules made atters incidental thereto have been complied with. I also declare d complete including the attachments to this form and nothing
*To be digitally signed by DSC BOX	
*Designation	
**Director identification number of the director or Managing Director; or DIN or PAN of the Manager/CEO/CFO; or Membership Number of the Company Secretary	
<b>Note:</b> Attention is also drawn to provisions of Section 448 as punishment for false statement and false evidence.	nd Section 449 of the Companies Act, 2013 which provide for
Check Form	ten gramma gragi
For office use only:	Fit Sine Wards
eForm Service request number (SRN)	eForm filing date (DD/MM/YYYY)
Digital signature of the authorising officer	
This e-Form is hereby approved	C Hippergrave regulation
This e-Form is hereby rejected	
Date of signing	(DD/MM/YYYY)

#### FORM NO. RD GNL-5

[Pursuant to rule 40 and 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]



Form for filing Addendum for rectification of defects or incompleteness

सत्यमेव जयते

	SRN) of relevant form(s)	Pre-fill
Mention SRN of relevant form entioned in this field and ver	n(s) in respect of which addendum is being file ify the system displayed details below)	ed. Ensure that correct SRN is
a) Date of SRN	(DD/MM/YYYY)	
(b) Form number(s)		
registration number(FCRN)) Global location number (Car)  Name of the company		
o) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company		
mala of the company		

* Details of rectification of the defects	or further information furnished	
And a second and the second as a second		
		7
(a) SRN of additional(differential) stam	np duty payment Pre-Fill	
etails of additional(differential) stam		-
(b) (i) Amount of stamp duty	Document name	
		7
	Document name  Document name  selected from the list of documents given in the drop down bed ).	] elow
(iii) Amount of stamp duty	Document name selected from the list of documents given in the drop down b	elow
(iii) Amount of stamp duty  nsure that correct type of document is aximum five documents can be attached	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  nsure that correct type of document is aximum five documents can be attached  (a) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  Insure that correct type of document is a eximum five documents can be attached (a) Type of document (b) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  Insure that correct type of document is aximum five documents can be attached  (a) Type of document  (b) Type of document  (c) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  Insure that correct type of document is eximum five documents can be attached  (a) Type of document  (b) Type of document  (c) Type of document  (d) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  nsure that correct type of document is aximum five documents can be attached (a) Type of document (b) Type of document (c) Type of document (d) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  nsure that correct type of document is aximum five documents can be attached (a) Type of document (b) Type of document (c) Type of document (d) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  Insure that correct type of document is eximum five documents can be attached  (a) Type of document  (b) Type of document  (c) Type of document  (d) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  nsure that correct type of document is aximum five documents can be attached (a) Type of document (b) Type of document (c) Type of document (d) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty Issure that correct type of document is eximum five documents can be attached  (a) Type of document  (b) Type of document  (c) Type of document  (d) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow
(iii) Amount of stamp duty  nsure that correct type of document is aximum five documents can be attached (a) Type of document (b) Type of document (c) Type of document (d) Type of document	Document name selected from the list of documents given in the drop down bed).	elow

Verification

To the best of my/our knowledge and belief, the information given above and in the attached documents is correct and complete.

## To be digitally signed by Director or Managing Director or Manager or CEO or CFO or Company Secretary (in case of existing Company), or Authorized representative (in case of foreign Company), or Authorized person of the bank, or Designated partner of a LLP Designation DIN of the director or Managing director, or PAN of the manager or CEO or CFO or Member or Authorized representative or Authorized Person, or Membership number of the Company Secretary, or DIN of the designated partner Director or Member Designation DIN of the director, or DIN/PAN of the Member Charge holder, Applicant Promoter, Liquidator, Individual, Partner, Auditor, Partner of auditor's firm Designation Income tax PAN or Membership number ARC or Assignee Chairman, Person charged, others Designation Capacity DIN or Income tax PAN or Membership number Certificate It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form. Category of professional Chartered accountant(in whole-time practise) or Cost accountant(in whole-time practise) or Company secretary(in whole-time practise) Whether associate or fellow C Associate C Fellow Membership number or Certificate of practice number

This form is not required to be signed by authorizing officer as this has been filled in respect of an already filled eForm

Check Form

Page 3 of 3

13

[F. No. 1/13/2013 CL-V, part-I, Vol.II]

K.V.R. MURTY, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 250(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial	Notification Number	Notification Date
Number		
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016
6.	G.S.R.936(E)	01-10-2016
7.	G.S.R.1184 (E)	29-12-2016
8.	G.S.R. 70 (E)	25-01-2017
9.	G.S.R. 955 (E)	27-07-2017
10.	G.S.R. 49 (E)	20-01-2018
11.	G.S.R.284 (E)	23-03-2018
12.	G.S.R. 708 (E)	27-07-2018

\*\*\*\*\*

## [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, दिसंबर, 2018

सा.का.नि. \_\_\_\_\_(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (41), धारा 3, धारा 7 की उप-धारा (1), धारा 10क, धारा 14 और धारा 469 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निगमन) नियम, 2014 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) चौथा संशोधन नियम, 2018 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 23 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-

"23क. व्यवसाय आरंभ करने के समय की जाने वाली घोषणा.-

किसी निदेशक द्वारा धारा 10क के अधीन की जाने वाली घोषणाप्ररूप संख्या आईएनसी-20क में की जाएगी और उसे कंपनी (रजिस्ट्रीकृतकार्यालय और फीस) नियम, 2014के अनुसार फाइल किया जाएगा और किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव या किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी व्यवसायरत लागत लेखाकार द्वारा उक्त प्ररूप की अन्तर्वस्तुएं सत्यापित की जाएगी:

परंतु, किसी ऐसी कंपनी की दशा में जिसे किन्हीं उद्देश्यों के अनुशीलन के लिए जिसमें किसी क्षेत्रीय विनियामकों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आदि से रिजर्टीकरण या अनुमोदन की अपेक्षा है, ऐसे विनियामक से, यथास्थिति, रिजर्टीकरण या अनुमोदन, भी प्राप्त किया जा सकेगा तथा उसे घोषणा के साथ संलग्न करना अपेक्षित होगा।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 39 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

### "40."वितीय वर्ष में परिवर्तन हेतु धारा 2 की उपधारा (41) के अधीन आवेदन

(1) धारा 2 की उपधारा (41) के अधीन सम्बधित क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन के लिए आवेदन, कंपनी (कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में यथा-उपबंधित फीस सहित **ई-प्ररूप-** सं. आरडी-1 में फाइल किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज उसके साथ संलग्न होगें, अर्थात्:-

- (क) आवेदन का आधार और कारण;
- (ख) ऐसे परिवर्तन को प्राधिकृत संकल्प के पक्ष या विरुद्ध दिए गए मतों की संख्या का ब्यौरा देते हुए बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति जिसमें ऐसे परिवर्तन को प्राधिकृत करने वाला संकल्प पारित किया गया था,
- (ग) यथास्थिति, पावर ऑफ अटार्नी या उपसंजाति ज्ञापन की एक प्रति;
- (घ) पिछले पांच वर्षों में वित्तीय वर्ष में परिवर्तन संबंधी किए गए किसी पूर्व आवेदन का विवरण और आदेश की प्रति सहित उसका परिणाम।
- (2) यदि क्षेत्रीय निदेशक उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की जांच करने के पश्चात् अतिरिक्त सूचना मांगना आवश्यक समझता है या ऐसे आवेदन को किसी भी संदर्भ में त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण पाया जाता है, तो वह निदेशक, उस व्यक्ति या कंपनी, जिसने ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया हो, द्वारा अंतिम बार सूचित ई-मेल में ऐसी मांगी गई सूचना या चूक या अपूर्णता के विषय में सूचित करते हुए उस व्यक्ति या कंपनी को 15 दिन की अविध के भीतर, ई-प्ररूप संख्या आरडी-जीएनएल-5 में चूक या अपूर्णता का संशोधन करने हेतु ऐसी सूचना प्रस्तुत करने या ऐसे आवेदन को पुनः प्रस्तुत करने के निदेश दे सकता है। परंतु अधिकतम दो पुनः प्रस्तुतियों को अनुज्ञात किया जाएगा।
- (3)(क) यदि क्षेत्रीय निदेशक को उप-नियम (2) के अधीन अनुमोदित अविध के भीतर ऐसी मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई या चूक या अपूर्णता को क्षेत्रीय निदेशक की संतुष्टि के अनुसार संशोधित नहीं किया गया तो क्षेत्रीय निदेशक, यथास्थिति, ऐसे आवेदन को फाइल करने की तारीख या अंतिम पुनः प्रस्तुति की तारीख के तीस दिन के भीतर कारण सहित ऐसे आवेदन रद्द कर देगा।
- (ख) यदि आवेदन सही पाया गया, तो क्षेत्रीय निदेशक, यथास्थिति, आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर या अतिम पुनः प्रस्तुति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आवेदन स्वीकार करेगा और आदेश संसूचित करेगा।
- (ग) यदि क्षेत्रीय निदेशक द्वारा तीस दिन के नियत समय के भीतर अनुमोदन या पुनः प्रस्तुति या अस्वीकृति के आदेश नहीं दिए गए तो उस आवेदन को अनुमोदित किया गया, समझा जाएगा और आवेदक को उसी समय अनुमोदन आदेश जारी कर दिया जाएगा।
- (4) कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष, प्ररूप सं. आईएनसी-28 में कंपनी (कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में, यथा उपबंधित फीस के साथ क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दिया गया आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर फाइल किया जाएगा।
- 41. किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्ति करने हेत् धारा 14 के अधीन आवेदन।

- (1) किसी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कोई आवेदन विशेष संकल्प पारित करने की तारीख से साठ दिन के भीतर, क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कंपनी (कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में दी गई फीस सिहत ई-प्ररूप संख्या आरडी-1 में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ फाइल किया जाएगा :-
- (क) प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ, जिसके अंतर्गत धारा 2 की उप-धारा (68) के अनुसरण में परिवर्तन भी हैं, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रारूप प्रति;
- (ख) उस साधारण अधिवेशन के कार्यवृत की प्रति जिसमें विरोधियों के नाम के साथ-साथ ऐसे परिवर्तन के पक्ष में या उसके विरुद्ध दिए गए बातों के विवरणों सिहत ऐसे परिवर्तन को प्राधिकृत करने वाला विशेष संकल्प को पारित किया गया था;
- (ग) ऐसे संपरिवर्तन को फाइल करने के आवेदन को प्राधिकृत करने वाले यथास्थिति, बोर्ड के संकल्प या पावर ऑफ अटार्नी, जो तीस दिन पूर्व से अधिक की न हो, की प्रति;
- (घ) किसी भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा की गई घोषणा कि धारा 2(68) के उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों की संख्या को दो सौ तक सीमित रखेगी और यह भी उल्लेख करेगी कि, कंपनी द्वारा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी प्रकार की जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी;
- (ड) किसी भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा की गई यह घोषणा कि इस अधिनियम की धारा 73 से 76क, धारा 177, धारा 178, धारा 185, धारा 186, और धारा 188 का अनुपालन नहीं किया गया है;
- (च) किसी भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा की गई यह घोषणा कि अधिनियम की धारा 179 की उप-धारा (3) के निबंधनों के अनुसार फाइल किए जाने हेतु किसी प्रकार का संकल्प लंबित नहीं है और यह भी कथन किया जाएगा कि कंपनी कभी भी किसी क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी और यदि इस प्रकार सूचीबद्ध थी तो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा अधिकथित लागू नियमों और विनियमनों के अनुसार शेयरों की संपूर्ण असूचीबद्धता के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को समेकित किया गया था:

परंतु, ऐसी कंपनियों की दशा में, जहां किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति अपेक्षित नहीं है, तो किसी भी निदेशक द्वारा पूर्वोक्त घोषणाएं फाइल की जाएंगी।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां उपवर्णित होंगे,अर्थात् :-
- (क) बोर्ड की बैठक की तारीख जिसमें अनुच्छेदों के संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था;

- (ख) प्रस्तावित परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले साधारण अधिवेशन की तारीख;
- (ग) पिछले पांच वर्षों में ऐसे संपरिवर्तन के संबंध में किए गए किसी पूर्व आवेदन के विवरण और आदेश की प्रति सहित परिणाम;
- (घ) कंपनी के सदस्यों की संख्या, बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या और मतदान किए गए और मतदान न किए गए या मतदान करने से रोके गए शेयरधारिता के प्रतिशत सहित सदस्यों की संख्या;
- (ङ) ऐसे ब्यौरे क्या धारा 8 के अधीन कंपनी रजिस्ट्रीकृत हैं या नहीं ।
- (3) आवेदन के साथ आवेदन फाइल करने की तारीख से पूर्ववर्ती तारीख से तीस दिन से अधिक तक की नवीनतम व्यवहार्य तारीख तक की लेनदारों, डिबेंचरधारकों की निम्नलिखित ब्यौरा सिहत सूची सलग्न की जाएगी, अर्थात :-
- (क) कंपनी के प्रत्येक लेनदार और डिबेंचरधारकों के नाम और पता;
- (ख) संबंधित ऋण, दावा या देयताओं की प्रकृति और संबंधित देय राशि;
- (ग) किसी आकस्मिक या अनिश्चित ऋण से संबंधित मूल्य जो उचित रूप से ऐसे ऋण के लिए प्राक्कलित है:

परंतु, कंपनी, कंपनी के सचिव का यदि कोई हो, और कंपनी के कम से कम दो निदेशकों, जिसमें से एक प्रबंध निदेशक के पद पर हो और जहां दोनों में से एक हो वहां उसका हस्ताक्षर किया गया इस प्रभाव का शपथ-पत्र फाइल किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उन्होंने कंपनी के कार्यालयों की संपूर्ण जांच की है और ऐसा करने के पश्चात् उनका यह मत है कि लेनदारों और डिबेंचरधारकों की सूची सही है, और ऋण या दावों की सूची में दिया गया प्राक्कित मूल्य आकस्मिक या अनिश्चित देय दावे ऐसे ऋण और दावों के उचित प्राक्कित मूल्य हैं और उनकी जानकारी के अनुसार कंपनी के विरुद्ध कोई अन्य का ऋण या दावा नहीं है।

- (4) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सम्यक् रूप से सत्यापित लेनदारों की सूची की प्रति रखी जाएगी और इसकी जांच करने की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति, सामान्य समय के दौरान, किसी भी समय, कंपनी को दस रुपये प्रति पृष्ठ का भुगतान करने के पश्चात् इसकी जांच कर सकता है, और इससे उद्धरण ले सकता है।
- (5) कंपनी द्वारा आवेदन फाइल करने के कम से कम इक्कीस दिन पूर्व निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :

- (क) उस राज्य जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के स्थानीय समाचार पत्र में उस जिले की मूल स्थानीय भाषा और अंग्रेजी समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में प्ररूप सं. **आईएनसी. 25क** का विज्ञापन दिया जाएगा :
- (ख) कंपनी के प्रत्येक डिबेंचरधारकों और लेनदारों के संबंध में विहित नियमानुसार देय पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वैयक्तिक नोटिस, की तामील की जाएगी;
- (ग) यदि कंपनी तत्समय प्रदत्त किसी विधि के अधीन निगमित हो, तो क्षेत्रीय निदेशक और रजिस्ट्रार और नियामक निकाय को किए गए देय पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक, नोटिस, की तामील की जाएगी।
- (6)(क) यदि उप-नियम (5) में निर्दिष्ट विज्ञापन या नोटिस के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई आपित प्राप्त नहीं हुई है और आवेदन सभी प्रभार से संपूर्ण हो, तो, उस आवेदन को किसी सुनवाई के बिना ही आदेश के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और क्षेत्रीय निदेशक द्वारा कारणों सिहत आवेदन को अनुमोदित या रद्द करते हुए, यथास्थिति, इसकी प्राप्ति की तारीख या दस्तावेज/सूचना प्राप्त करने की अंतिम तारीख, से तीस दिन के भीतर आदेश पारित करेगा।
- (ख) यदि क्षेत्रीय निदेशक को आवेदक की जांच आदेश अतिरिक्त सूचना मांगना आवश्यक लगे या उसे यह आवेदन किसी भी संदर्भ में चूकपूर्ण या अपूर्ण लगे तो वहआवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आवेदन फाइल करने वाले व्यक्ति या कंपनी के अंतिम सूचित ई-मेल पते पर ऐसी सूचना या चूक या अपूर्णता के विषय में सूचित कर सकते हैं और उस व्यक्ति या कंपनी को ऐसी चूक या अपूर्णता को संशोधित करने हेतु ऐसी सूचना प्रस्तुत करने और पंद्रह दिन की अविध के भीतर ई-प्ररूप आरडी-जीएनएल-5 में ऐसे आवेदन की पुनः प्रस्तुति के निदेश दे सकते हैं:

परंतु कि, अधिकतम दो पुनः प्रस्तुतियों की अनुज्ञेय होंगी।

- (ग) यदि उप-नियम (6) के अधीन स्वीकृत अविध के भीतर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध न कराई जाए या चूक या अपूर्णता का संशोधन क्षेत्रीय निदेशक के समाधानप्रद रूप में किया जाए तो, क्षेत्रीय निदेशक, यथास्थिति, द्वारा आवेदन फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर या अंतिम पुनः प्रस्तुति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आवेदन नामंजूर कर देगा।
- (घ) यदि क्षेत्रीय निदेशक द्वारा तीस दिन के नियत समय के भीतर अनुमोदन या पुनः प्रस्तुति या अस्वीकृति के आदेश नहीं दिए गए हैं तो, उस आवेदन को अनुमोदित किया गया, समझा जाएगा और आवेदक को उसी समय अनुमोदन आदेश जारी कर दिया जाएगा।
- (9)(i) यदि अधिनियमके उपबंधों के अधीन किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त हुई है या क्षेत्रीय निदेशक के जांच करने पर अधिनियम के उपबंधों अधीन कोई विनिर्दिष्ट आपत्ति है तो उन्हें लिखित में

अभिलिखित किया जाएगा, और क्षेत्रीय निदेशक द्वारा तीस दिन की अवधि के भीतर सुनवाई या सुनवाइयां आयोजित की जाएंगी और सुनवाई के पश्चात् कंपनी को हुई सहमति को रिकार्ड करने के लिए शपथपत्र फाइल करने का निदेश दिया जाएगा और इसका कार्यान्वयन करने के पश्चात् क्षेत्रीय निदेशक सुनवाई की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन को अनुमोदित या नामंजूर करते हुए आदेश पारित करेगा, और करने में असफल रहने पर आवेदन को अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और आवेदक को उसी समय अनुमोदन आदेश जारी कर दिया जाएगा।

(ii) यदि आवेदन फाइल करने की तारीख से साठ दिन के भीतर संपरिवर्तन के लिए सहमित, सुनवाई के समय या अन्यथा प्राप्त नहीं हुई तो क्षेत्रीय निदेशक साठ दिन की अविध के भीतर आवेदन नामंजूर कर देगा:

परंतु, यदि किसी कंपनी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई जांच, निरीक्षण या अन्वेषण प्रारंभ हो गई है या अधिनियम के अधीन कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है तो संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा।

- (10) ऐसी जांच, निरीक्षण या अन्वेषण के पूरा होने पर और इसके परिणामस्वरूप किसी प्रकार का अभियोजन न होने या लंबित न होने की स्थिति में संपरिवर्तन अनुजेय होगा।
- (11) क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दिए गए आदेश को कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष अनुमोदन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्ररूप संख्या आईएनसी-28 में कंपनी (कार्यालयों का रजिस्ट्रीकरण और फीस) नियम, 2014 में दिए गए फीस सहित फाइल किया जाएगा।"।
- 4. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या आईएनसी-20 के उपाबंध के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :-

"प्ररूप सं. आईएनसी.20क [कंपनी अधिनियम, 2013की धारा 10क(1)(क) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 23क के अनुसरण में]



व्यवसाय आरंभ करने के लिए घोषणा

प्ररूप की भाषा Oअंग्रेजी Oहिन्दी प्ररूप फाइल करने के लिए अन्देश किट का संदर्भ लें

प्ररूप	फाइल करने के लिए अनुदेश किट का संदर्भ लें		
1	*(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) _		पर्व परित
	(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन) _		
2.	رج غيبا عياس		
۷.	(क) कंपनी का नाम		
	(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पताः		_
	(ग) कंपनी की ई-मेल आईडी		
3.	(क) *क्या किसी क्षेत्रीय नियामक (अर्थात् एनबीएफआई	कार्यकलापों के मामले	में आरबीआई)
द्वारा	कंपनी के कार्यों का नियंत्रण किया जाता है?		, , ,
	Oहां Oनहीं		ja t
	(ख) *नियामक का नाम स्पष्ट करें		
	'अन्य' को स्पष्ट करें		
	(ग) *पत्र संख्या/रजिस्ट्रीकरण संख्या और अनुव		नारीख
	स्पष्ट करें।	^	
संलग्न	*		ग्नकों की सूची
	गरों के मूल्य संबंधी भुगतान के मामले में हस्ताक्षर कर्ता का साक्ष्य		
	रबीआई (केवल गैर-बैंककारी वितीय कंपनियों के मामले में)/ अन्य	संलग्न करें	
	नेयामकों द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ल्पिक संलग्नक (यदि कोई हो)	संलग्न करें	
(0) 41	स्ति कार्यं (वार्य कार्यं हा)		क हटाएं
		(1(100)	THE COLL
घोषणा			
में कंप	नी के निदेशक बोर्ड द्वारा तारीख की	संकल्प संख्या	द्वारा
	रूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ और यह घोष		
	और इससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कंपनी :		
	गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया		
कि .	3	250 27 37 35 35	7

- 1. इस प्ररूप और इसके संलग्नकों में उल्लिखित सभी तथ्य सत्य, सही और संपूर्ण हैं और कंपनी द्वारा रखे गए मूल रिकार्डों के अनुसार इस प्ररूप की विषय वस्तु से संबंधित किसी भी सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है।
- 2. सभी अपेक्षित संलग्नकों को संपूर्णतया और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप के साथ संलग्न किया गया है।
- 3. इस समझौता ज्ञापन के प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ताओं ने उनके द्वारा लिए गए शेयरों के मूल्य का भुगतान किया गया है।
- 4.कंपनी ने धारा 12 की उप-धारा (2) मेंयथाविहितरजिस्ट्रार के समक्ष अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन किया है।

V. 1	
*निदेशक द्वारा अंकीय हस्ताक्षर किए जाने हैं *निदेशक पहचान संख्या	डीएससी बॉक्स
व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाण-पत्र	
मैं यह घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप को प्रम किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों सिहत) को कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल प्र सत्यापित किया है और उन्हें सत्य, सही और संपू सूचना को दबाया नहीं गया है।	ने इस प्ररूप से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 को पढ़ा है और मैंने उपरोक्त विवरणों (संलग्नक रेकार्डों को जो इस प्ररूप की विषय-वस्तु है, से
*O चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या Oकंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)	Oलागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
<ul> <li>* क्या एसोसिएट या फेलो है</li></ul>	Oफेलो
जानदरा राख्या यम जनाण-यत्र	
टिप्पण : धारा 448 और 449 के उपबंधों की क्रमशःमिथ्या कथन/प्रमाण-पत्र और मिथ्या साक्ष्य के	
संशोधन करें प्ररूप चैक करें पूर्व संवी	क्षा प्रस्तृत करें

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल से और कंपनी द्वारा दिए गए सत्यता के विवरण के आधार पर लिया गया है।"।

5. उक्त नियमों के, प्ररूप संख्या आईएनसी-25 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

### "प्ररूप संख्या आईएनसी-25क

पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 41 के मामले में
और
मैसर्स (कंपनी का नाम) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालयमें स्थित है के मामले में, आवेदक।
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीखको आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन/विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपित भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय निदेशक का संपूर्ण पते का उल्लेख होना आवश्यक है) को उसके हित और आपित्त के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

आवेदक के लिए या उसकी ओर से

डिन सहित निदेशक के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का संपूर्ण पता

N.			
तारीख:			
स्थान :"			
६ उस्य निमापें ने पास्य संस्था अर्था प्राप्त	24 + 119=		
6. उक्त नियमों के, प्ररूप संख्या आईएनसी	-७४ क परच	ात्, ानम्नालाखत प्रर	भ्य अतःस्थापत ।कर
जाएगा, अर्थात् :-			
"प्ररूप संख्या आरडी-1		क्षेत्रीय निदेशक के	समक्ष आवेदन फाइत
कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी		करने हेतु प्ररूप	
(निगमन) नियम, 2014 के नियम 40 और			
नियम 41 के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते		
return to organization			
प्ररूप की भाषा Oअंग्रेजी Oहिन्दी			
प्ररूप दायर करने के लिए निदेशिका किट का	संदर्भ लें		
1 *(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख	या (सीआईए	<b>干)</b>	पूर्व पूरित
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख			
	,	201	
2. (क) कंपनी का नाम			
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय क	न पताः		140
3. *कृपया आवेदन का उद्देश्य चिहिनत करें			
०नाम का संशोधन			
o वितीय वर्ष में परिवर्तन			
) पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवत	નન		
) अन्य			
4. 'अन्य' को विनिर्दिष्ट करें			
म. अन्य का विनिद्धि कर			
5. (क) ऐसी कंपनी की सीआईएन संख्या जिर	सके नाम के	संशोधन के लिए आवे	दिन किया जा रहा है
		पूर्व पूरित	
		~ ~ ~	
(ख) ऐसी कंपनी का नाम जिसके विरुद्ध अ	ावेदन किया	जा रहा है	

6. इस बात का विवरण कि क्या यह कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन रिजस्ट्रीकृत है?

## Oहां Oनहीं

7. उस बोर्ड की बैठक की तारीख जिसमें अनुच्छेदों के स	शोधन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया थ 
(क) विशेष संकल्प पारित करने की तारीख (ख) प्ररूप एमजीटी-14 की सेवा अनुरोध संख्या	(दिन/मास/वर्ष)
(ग) प्ररूप एमजीटी-14 फाइल करने की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)
8. *आवेदन के ब्यौरे	
संलग्नक	संलग्नकों की सूची
1.*आवेदन करने के आधारों से संबंधित विवरण	संलग्न करें
2.बोर्ड के संकल्प की प्रति	संलग्न करें
3.विशेष संकल्प की प्रति	
4. विज्ञापन की प्रति	
5. लेनदारों और डिबेंचरधारकों की सूची	
6. धारा 2(68) के अनुपालन के संबंध में केएमपी द्वारा घोषणा	
7 द्वारा घोषणा	
8. वैकल्पिक संलग्नक(कों)- (यदि कोई हो)	संलग्नक हटाएं
	Alchoolal GCIX
घोषणा	
मैं कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा तारीख	(दिन/मास/वर्ष) की संकल्प संख्या
द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए प्र	
प्ररूप की विषय वस्तु और इससे संबंधित अन्य मामलों	
उसके अधीन बनाए गए बने नियमों की सभी अपेक्षाओं	
घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सभी सूचना सत्य, र	तहा और संपूर्ण हे और इस प्रक्रम से संबादत
किसी भी सूचना को दबाया नहीं गया है।	
*अंकीय हस्ताक्षर किए जाने हैं डीएससी बॉक्	स
*पदनाम	

कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या		
केवल कार्यालय प्रयोग के लिए : ब्यौरे संलग्न करें		
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-प्ररूप दायर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर		
इस ई-प्ररूप को एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है (प्रस्तुत करें) इस ई-प्ररूप को एतदद्वारा अस्वीकृत किया जाता है		
हस्ताक्षर की तारीख (दिना/मास/वर्ष)		

प्ररूप संख्या आरडी-जीएनएल-5 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 40 और नियम 41 के अनुसरण में]



### चूक या असंपूर्णता के संशोधन के लिए परिशिष्ट दायर करने हेतु प्ररूप

प्ररूप की भाषा 0अग्रेजी 0हिन्दी
टिप्पण - *चिहिनत सभी क्षेत्रों को भरा जाना अनिवार्य है
<ol> <li>सुसंगत प्ररूपों की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) (पूर्व पूरित)</li> <li>(पिरिशिष्ट फाइल किए जाने वाले सुसंगत के एसआरएन का उल्लेख करें। यह सुनिश्चित करें कि इस क्षेत्र में सही एसआरएन का उल्लेख किया गया है और निम्नलिखित सिस्टम में दर्शाये गए विवरण को सत्यापित करें)</li> </ol>
2(क) एसआरएन की तारीख (दिन/मास/वर्ष) (ख) प्ररूप संख्या
3. *(क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)- या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)
4. (क) कंपनी का नाम (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता या भारत में व्यवसाय करने के मूल स्थान का पता
(ग) प्ररूप फाइल करने वाले ट्यक्ति का नाम (गैर-कंपनी या निगमित किए जाने वाली कंपनी के संबंध में फाइल करने के मामले में प्रयोज्यता (घ) *ई-मेल आईडी
5. क्षेत्रीय निदेशक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई चूकों या मांगी गई अतिरिक्त सूचनाओं का ब्यौरा

6(क) अतिरिक्त (भिन्न) स्टाम्प शुल्क भुगतान व	न एसआरएन (पूर्व	पूरित)
अतिरिक्त (भिन्न) स्टाम्प शुल्क के ब्यौरे		
(ख)(i) स्टाम्प शुल्क की राशि	दस्तावेज़ का नाम	
	दस्तावेज़ का नाम	
(iii) स्टाम्प शुल्क की राशिदस्ता		
(यह सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित ड्रॉप डाउन चुनाव किया जाए। अधिकतम पांच दस्तावेज़ संलग्		ावेजों का
(7)(क) दस्तावेज़ का प्रकार	(संलग्नक करें)	
(ख) दस्तावेज़ का प्रकार		
(ग) दस्तावेज़ का प्रकार		
(घ) दस्तावेज़ का प्रकार		
(ङ) दस्तावेज़ का प्रकार		
	संलग्नकों की सूची	
· .		
	संलग्न हटाएं	
सत्यापन		
उपरोक्त सूचना और संलग्न दस्तावेज़ मेरी सर्वोत्तम	जानकारी और विश्वास में सही और संपूर्ण	1,4
अकीय हस्ताक्षर किए जाने हैं		
निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सीईओ	या सीएफओ या सदस्य या पाधिकत प्रतिर	नेशि गा
प्राधिकृत व्यक्ति या कंपनी सचिव (विद्यमान कं		
कंपनी के मामले में) या बैंक का प्राधिकृत ट्यक्ति		11-19(1)
पदनाम		

निदेशक या प्रबंध निदेशक का डिन या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का पैन या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या या पदाभिहित भागीदार का डिन
निदेशक या सदस्य
पदनाम
निदेशक का डिन, या सदस्य का डिन/पैन
प्रभार धारक, आवेदक, प्रवर्तक, समापक, वैयक्तिक, भागीदार, लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षक फर्म का
भागीदार
पदनाम
आयकर पैन या सदस्यता संख्या
एआरसी या समनुदेशी, अध्यक्ष, प्रभारित व्यक्ति या अन्य
पदनाम
क्षमता
डिन या आयकर पैन या सदस्यता संख्या
प्रमाण-पत्र
यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने
के रिकार्डों से उपरोक्त ब्यौरों (संलग्नक सहित) को सत्यापित
किया है और उन्हें सत्य और सही पाया है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि सभी अपेक्षित संलग्नकों
को इस प्ररूप के साथ संपूर्ण रूप से संलग्न कर दिया गया है।
वृत्तिक की श्रेणी
*O चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या Oलागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत) या
Oकंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)
* क्या एसोसिएट या फेलो है
* सदस्यता संख्या या प्रैक्टिस संख्या प्रमाण पत्र
संशोधन करें पूर्व संवीक्षा प्रस्तुत करें

किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि इसे पहले से फाइल किसी ई-प्ररूप के संदर्भ में फाइल किया गया है।"।

[फा.सं. 1/13/2013-सीएल-७, भाग-।, वॉल्यूम.।।]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 को सा.का.नि. संख्या 250(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :-

क्रम	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
संख्या		***
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016
7.	सा.का.नि. 1184(अ)	29-12-2016
8.	सा.का.नि. 70(अ)	25-01-2017
9.	सा.का.नि. 955(अ)	27-07-2017
10.	सा.का.नि. ४९(अ)	20-01-2018
11.	सा.का.िन. 284(अ)	23-03-2018
12.	सा.का.नि. 708(अ)	27-07-2018